भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3503

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

स्थिर वास्तविक मजदूरी का प्रभाव

†3503. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

श्री सुनील बोसः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कामगारों, नैमित्तिक श्रमिकों और स्व-नियोजित कामगारों सहित कामगारों की औसत वास्तविक मजदूरी का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में घरेलू उपभोग और जीवन स्तर पर स्थिर वास्तविक मजदूरी के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कामगारों के लिए वेतन वृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता और आय सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा 20 राज्यों के 600 नमूना गांवों के एक निश्चित सेट से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जून, 2025 तक एकत्रित सूचना के आधार पर चयनित कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत नाममात्र दैनिक मजदूरी दरों का संकलन एवं रखरखाव किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र के अधीन नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं तथा औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में वृद्धि के आधार पर उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का ब्यौरा नीचे दिए गए लिंक **https://clc.gov.in/clc/sites/default/files/mygov_17751372721.pdf** पर उपलब्ध है।

जारी/2–

इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई, मजदूरी संहिता, 2019 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों को समाहित किया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की संहिता में यथा विहित विभिन्न प्राधिकारियों, जैसे–"दावों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए प्राधिकारी", "अपीलीय प्राधिकारी", "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" तथा "जांच अधिकारी" की नियुक्ति के माध्यम से संहिता के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए सशक्त बनाया गया हैं।
